

7— राज्य सरकार/विनाग द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्भत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9— उक्त शास्त्रों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन /परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिक्रियों का पालन करना संस्था को लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निःस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)

गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

पृ० स० आग० / ३१५९ - ५५ / २०११-१२ तद॒ दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित —

१—सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

२—मण्डलाधिकारी गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

३—जिलाधिकारी गोरखपुर ।

४—शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र० लखनऊ ।

५—जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर ।

६—प्रबन्धक /प्रधानाचार्य सेन्ट जोसफ स्कूल कोडारी, बड़हलगंज, गोरखपुर ।

७—गार्ड फार्मल ।

(प्रताप सिंह बघेल)

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)

गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।